



## पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०

कार्यालय-आंध्रप्रदेश अभिव्यक्ति विद्युत वितरण मण्डल, गान्धिबाद

आयकराशि ई-विविदा सुचक 08/2025-26/EDC/GZB दिनांक 05.06.2025

कार्य का नाम- विद्युत वितरण मण्डल मॉडिफिकेशन के अन्तर्गत उपखण्ड द्वितीय के कार्यालय में 33/11 कंठवीड विद्युत उपकरण कोरस मॉडिफिकेशन पर स्थापित पावर परिवर्तकों से जैसे- 11 कंठवीड बुकिंग टोड बदलना, तेल का सेन्ट्रीफ्यूजिंग एवं डिस्टिलेशन टॉप पोट से तेल रिक्वाय होने के कारण ऐडिशन उपलब्ध कराते हुए बदलने एवं सुख्खा के दृष्टिकोण तेल रिक्वाय को लेकने का कार्य।

ई-विविदा प्रपत्र सुचक ₹ 1180.00

घटेहर राशि- ₹ 3500.00

ई-विविदा की अंतिम तिथि :- 28/06/ 2025, 12.00 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र ई-वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अर्थात् समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएगी।

em



कार्यालय  
अधीक्षण अभियन्ता  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
विद्युत वितरण मण्डल,  
हाइडिल कॉलोनी, कविनगर, गाजियाबाद

पत्रांक: 1032 / वि०वि०म० / गा०बा० /

दिनांक : 11.06.2025

विज्ञापन व्यवस्थापक,  
सी० एच०  
गाजियाबाद।

विज्ञापन व्यवस्थापक  
भक्ति विज्ञापन  
गाजियाबाद संस्करण।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 12.06.2025 के अंक में कम से कम स्थान में हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 8-10 प्वाइन्ट टाइप में केवल एक कॉलम में समाचार पत्र के रनिंग मेटर में प्रकाशित करें। हिंदी के नाव का नाम व पता यथासंभव एक हा लखन में उनमें मटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० को B/W नं० टी तथा कोल्ट हब्डी में कोल्ट साइज-14 में तथा लोको 1 Sq.cm में प्रकाशित किया जाये।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचनाएँ जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता विधिर लगाने की सूचना, बिजली बिलों के संकट में सूचना आदि का प्रकाशन समाचार पत्र के तत्काल पृष्ठ पर तथा आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन आवश्यक हनु। पश्चिम मेटर पर करने की व्यवस्था करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन महीने में मूल पुस्तान प्रति रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए पुनर्प्राप्त हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेटर को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर कोटी प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/पुनर्प्राप्त संभव नहीं होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अयोध्यास्थानी को सूचनाएँ अद्यतन भेज दी जाये अन्यथा संपादित बीक का सत्यापन/पुनर्प्राप्त नहीं किया जायेगा।
5. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन दूध प्रसार निदेशकालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विज्ञापन दरें स्वीकार न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अयोध्यास्थानी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
6. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भ्रष्ट दंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा निम्नानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का पुनर्प्राप्त रोक/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

1. विज्ञापन आदेश की प्रथम एवं द्वितीय प्रति
2. विज्ञापन सामग्री।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता  
वि०वि०म० गा०बा०

पत्रांक : 1032 / वि०वि०म० / गा०बा० / विज्ञापन / तद्विनाश-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेटर।
2. मुख्य अभियन्ता (वि०) गाजियाबाद क्षेत्र, निकट 33/11 कंठी विद्युत उपकेंद्र राजनगर, गाजियाबाद।
3. महापंचक जनसम्पर्क अधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क मेटर।
4. नोटिस बॉर्ड

अधीक्षण अभियन्ता  
वि०वि०म० गा०बा०।